3

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **34 / 2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

मोहन लाल पुत्र रामलाल बलाई निवासी बाजून्दा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द, भीलवाडा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 25-08.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 29.07.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 47 एफ 046092 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 19.03.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार आसीन्द द्वारा पत्रांक / आरटीआई / 2020 / 757 दिनांक 10.08.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र उन्हें दिनांक 29.04.2020 को प्राप्त हुआ। रिपोर्ट अनुसार प्रत्यर्थी कार्यालय के पत्रांक / 344–45 दिनांक 29.05.2020 से अपीलार्थी को आवेदन पत्र में लिखे निवास के पते पर सूचना डाक द्वारा प्रेषित की गयी कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना क्षेत्राधिकार तहसील क्षेत्र बदनोर में आने से मूल आवेदन मय पोस्टल ऑर्डर तहसील बदनोर मे प्रेषित किये गये। अपीलार्थी वांछित सूचना तहसील बदनोर से प्राप्त करें। इस प्रकार तहसीलदार आसीन्द ने अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होने पर भी अपीलार्थी के सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र को एक माह पश्चात् बदनोर को प्रेषित किया जबकि विहित अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र 5 दिवस में अन्तरित करना चाहिये था। तहसीलदार आसीन्द ने सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमों की उल्लघंना की हैं।

तहसीलदार बदनोर से कोई जवाब / रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं एवं तहसीलदार बदनोर को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये। तहसीलदार आसीन्द को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में समयानुसार नियमानुसार पालना सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं विपक्षी तहसीलदार बदनोर एवं आसीन्द को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 25-08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)